राजस्व अपील प्राधिकारी, ज़यपुर

तारीख हुक्म	निगरानी/अपील 99/2017 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/11/17	पत्रावली वास्ते आदेश हेतु प्रस्तुत हुई। समयाभाव के कारण आज आदेश लिखाया नही जा सका। अतः पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 15/12/2017 को पेश हो।	
15/12/17	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश हेतु प्रस्तुत हुई। संक्षिप्त में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोंडेन्ट-2 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद पत्र बाबत विभाजन दुरूस्ती इन्द्राज, दखलकरार हक एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया, जिसमे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27/11/2012 को प्रारम्भिक डिग्री पारित की गई एवं तहसीलदार सांभर को मुताबिक निर्णय बंटवारा प्रस्ताव पक्षकारान की मौजुदगी में तैयार कर भिजवाने के लिये लिखा गया। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार भू-अभिलेख फुलेरा द्वारा उनके पत्र क्रमांक 6182 दिनांक 10/7/2013 के द्वारा कुर्रेजात तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय को भिजवाये गये। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर प्रतिवादी सं. 3 व 13 को आपत्ति होने से उनके द्वारा आपत्ति पत्र पेश किया गया, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः तहसीलदार फुलेरा को जाँच कर पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर भिजवाने हेतु लिखा गया, जिस पर कार्यालय पटवारी मण्डल सांभर द्वारा तहसीलदार फुलेरा को फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 8/10/15 को प्रेषित की गई जो मूल ही तहसीलदार फुलेरा द्वारा अधिनस्थ न्यायालय को प्रेषित कर दी गई। जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन अन्तिम निर्णय	

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

भागीरथ / भंवरलाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
99/2017		

एवं डिक्री पारित कर दी गई। उक्त अन्तिम निर्णय व डिक्री के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है। जिस पर बहस अभिभाषक पक्षकारान समाप्त की गई।

अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस के प्रारम्भ में उल्लेख किया कि ख. नं. 1054 रकबा 11 बिस्वा वाके ग्राम सांभर के सम्बन्ध में रेस्पोन्डेन्ट सं. 1 भंवरलाल ने वाद बाबत् इस्तकरार हक इन्जाव दुरूस्ती, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया, जिस पर रेस्पो. सं. 1 को प्रश्नगत आराजी मे से 1/5 भूमि हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर दिनांक 27/11/2012 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार सांभर को राजस्व रिकार्ड मे खातेदारो को दर्ज हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जे अनुसार बंटवारा करने के आदेश पारित किये गये, जिसकी अनुपालना में पटवारी हल्का सांभर व गिरदावर से तहसीलदार द्वारा कुर्रेजात बनवाये गये, जिन पर अपीलांट ने दिनांक 06/1/14 को आपत्ति पेश कर निवेदन किया किया कि पटवारी हल्का ने बिना मौके पर गये पटवार घर में बैठकर वादी के बताये अनुसार नक्शा कुर्रेजात बनाये है जो पूर्णतया मौके की वास्तविक स्थिति के बिपरित है। कुर्रेजात रिपोर्ट मे भंवरलाल का हिस्सा 1054/5 मौके की वास्तविक स्थिति के बिपरित नक्शे में गलत अंकन किया है। 1054/5 नक्शे कुर्रेजात मे जिस स्थान पर बताया गया है उस स्थान पर मौके पर

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

भागीरथ / भवरलाल

तारीख हुक्म	99/2017 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 3	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपीलांट मोहनी देवी काबिज है और उसके बाद भागीरथ काबिज है मौके पर अपीलांट भागीरथ के पक्का मकान व बाऊण्ड्री बना रखी है एवं मौके पर 1054/5 की इसके पश्चात कोई जमीन शेष नही है। 1054/1 कान्तिप्रसाद व 1054/2 केशाराम के बाद पक्की बाऊण्ड्रीवाल बना कर भवरलाल ने 2 बिस्वा 4 बिस्वान्शी को नाप कर कब्जा कर रखा है। मौके पर प्रत्येक सह कृषक को 2 बिस्वा 4 बिस्वान्सी भूमि हिस्से में आई है किन्तु वादी भवरलाल को नक्शा कुर्रेजात व मौके की स्थिति के अनुसार निर्णय के विपरित 2 बिस्वा 4 बिस्वान्शी के स्थान पर उसे 4 बिस्वा 8 बिस्वान्शी जमीन दी गई है। इस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ऐतराज स्वीकार करते हुये तहसीलदार सांभर को स्वंय मौके पर जाकर पक्षकारान की मौजुदगी में नाप जोख कर पुनः मौका रिपोर्ट कुर्रेजात तैयार कर प्रेषित करने हेतु निर्देश दिये गये। जिस पर तहसीलदार सांभर पुनः प्रश्नगत आराजी पर न जाकर भू: पटवारी गिरदावर ने रेस्पो.न. 1 से मिलिभगत कर पूर्व कुर्रेजात व नक्शा को पुनः प्रेषित कर दिया गया, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा यह भी नही देखा गया कि कुर्रेजात रिपोर्ट नई तैयार न की जाकर पुर्व मे तैयार रिपोर्ट ही प्रेषित की गई है जिसमे पक्षकारान के	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	भागीरथ / जवरलाल 99/2017 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 4	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कब्जे व मौके पर बने पक्के मकानात की स्थिति को नजरअन्दाज कर तैयार की गई रिपोर्ट पर आदेश और अपील पारित किया गया है जिससे राजस्व मण्डल द्वारा निर्धारित नियम 18 से 21 की अवहेलना हुई है। आगे अपीलार्थी ने हमारा ध्यान नियम 18 से 21 की ओर आकर्षित कराया एवं बहस के अन्त में 2009 (2) RRT-775, 2001 (2) RRT-1233, 1995 RRD-475, 2011-12 (Supp.) RRT-698 एवं 2014 (1) RRT-258 उद्दरित करते हुये निवेदन किया कि बगैर पक्षकारान की उपस्थिति एवं ~~अथवा~~ उनके हस्ताक्षर के कुर्रेजात रिपोर्ट मान्य नही हो सकती। पूर्व में प्रेषित कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपत्ति के पश्चात एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश के पश्चात भी तहसीलदार द्वारा पूर्व में प्रेषित रिपोर्ट को ही दोहराया गया है जो स्पष्ट रूप से कानूनी त्रुटी है। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस के प्रारम्भ में निवेदन किया कि कुर्रेजात रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि खातेदार भागीरथ पुत्र मंगला, मोहनी पत्नि भागीरथ ने हस्ताक्षर करने से मना किया, जिससे स्पष्ट है कि कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा मौके पर उपस्थित होकर तैयार की गई है। रेस्पो. सं. 2 द्वारा उनके हिस्से की आराजीयात रेस्पो. सं. 1 कान्ति प्रसाद अग्रवाल को बिक्रय भी कर दी गई है। नक्शे एवं	

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	99/2017 भागीरथ | भंवरलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

कुर्रेजात विधिवत तैयार किये गये है एवं कुर्रेजात रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय के आदेश पर दो बार तैयार की गई है जिससे स्पष्ट रूप से निर्धारित नियमो की पालना हुई है। पक्षकारान ने अपने-अपने हिस्से का विभिन्न समय पर बेचान व कब्जा किया है जिससे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में कोई त्रुटी नही होने से अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस अभिभाषक पक्षकारान पर गौर किया एवं पत्रावलीयो का अवलोकन किया। प्रकरण में मुख्य निस्तारण योग्य बिन्दु यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की अनुपालना मे जो कुर्रेजात रिपोर्ट तहसील के स्तर से प्राप्त हुई, उस पर अपीलार्थी द्वारा आपत्ति पेश की गई थी एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार फुलेरा को पुनः मौके पर स्वंय जाकर कुर्रेजात रिपोर्ट पक्षकारान की मौजुदगी मे तैयार कर प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये थे किन्तु अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार फुलेरा के पत्र क्रमांक 5872 दिनांक 28/11/2016 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा स्वंय के द्वारा मौके पर नही जाकर पटवारी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट ही पुनः प्रेषित कर दी गई है बजाय तहसीलदार द्वारा उनके पत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	99/2017 — भागीरथ / भंवरलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

मे अंकित किया गया है कि "श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय सांभरलेक को मूल ही रिपोर्ट प्रेषित कर निवेदन है कि पूर्व मे ही उक्त जाँच प्रतिवेदन श्रीमान् के यहाँ प्रेषित किया जा चुका है अब पुनः पटवारी हल्का से प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।" उक्त पत्र की भाषा से स्पष्ट है कि तहसीलदार स्वंय मौके पर कभी उपस्थित नही रहे एवं पटवारी हल्का द्वारा पूर्व मे प्रेषित कुर्रेजात रिपोर्ट ही पुनः पत्र के संलग्न कर अधिनस्थ न्यायालय को प्रेषित कर दी गई, जिससे स्पष्ट रूप से अधिनस्थ न्यायालय के निर्देशो की पालना नही हुई है। इस तथ्य पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गौर किये बगैर पुनः पूर्व प्रेषित कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करदी गई है, जिससे स्पष्ट रूप से नियमो का उल्लंघन हुआ है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23/1/2017 निरस्त करते हुये प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशो के साथ प्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार फुलेरा को निर्देश जारी किये जावे कि वे स्वंय मौके पर पक्षकारान की उपस्थिति मे नियमो के तहत कुर्रेजात तैयार

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	99/2017 भागीरथ / खरलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	करवा कर इन्द्राज का किस्ताइन्द्राज अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 15/12/2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	